नगर की जनता के लिए जो खतरा है, मुझे कोई कारण नहीं लगता कि पशुओं का निस्तारण, यहां तक कि एक मील की दूरी पर भी, नगरपालिका की सीमाओं से बाहर, सुरक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पेटीशनर्स का दावा है कि वे अपने पशुओं का दफन करते हैं और उनकी खाल के लिए उन्हें छीलने नहीं करते। चाहे वैसा हो या न हो, मुझे लगता है कि जो रोधीयों की तरफ से भय है, वह मेरे लिए पेटीशनर्स को मिलने वाले सहायता में अधिक विघ्नात्मक और बेहद अनुयायी है। हर तरह से, अगर पेटीशनर्स द्वारा अपनाया गया तरीका किसी भी खतरनाक परिणाम में ले जाता है, तो स्थिति का मूल्यांकन करने और उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए वहां जहां मृत पशु ले जाए गए हैं, वहां ग्राम पंचायत को कानून के तहत पर्याप्त उपकरण हैं। मृत पशुओं का निस्तारण का नीलामी, इस बात से कभी नहीं माना जा सकता है कि मृत पशु का शव, जब से उसकी जीवनशक्ति समाप्त हुई, मालिक की जगह नगर पालिका में आ गया है। यह मालिक के द्वारा त्यागने के द्वारा ही होता है, निस्तारण, या आवश्यक निस्तारण, पशु की, धारा 154 के तहत निर्धारित स्थानों पर; अन्यथा वह उस पर स्वामित्व बरकरार रखता है, लेकिन अधिनियम की धारा 168 में उल्लिखित तरीके से निस्तारण के कर्तव्य के अधीन।

(5) इन पूर्वावलोकन कारणों के लिए, ये पेटीशन आंशिक रूप से मंजूर हैं क्योंकि समिति और उत्तरदाता संख्या 3, जो सफल बोली लगाने वाले हैं, उन्हें उन पशुओं का कोई अधिकार नहीं है जिनकी लाशें मालिक नगर पालिका की सीमाओं से एक मील दूर स्थानों पर निस्तारित करना चुनते हैं। समिति द्वारा आयोजित नीलामी जिसमें पहले ही कहा गया है कि ये पशुओं को शामिल किया गया है, वह पूरी तरह से अधिकारहीन है और उसी तरह से उत्तरदाता संख्या 3 के पक्ष में नीलामी उस मात्रा में अमान्य है। पेटीशनों की आंशिक सफलता के लिए, पेटीशनर्स को उनका खर्च मिलेगा। वकील शुल्क 300 रुपये।

न्यायाधीश एस. एस. कंग के समक्ष।

सुरिंदर सिंह,—याचिककर्ता।

और

हरियाणा राज्य और अन्य,—प्रतिद्वंद्वी।

1985 की नागरिक याचिका संख्या 172

10 दिसंबर, 1985।

भारतीय संविधान 1950—धारा 14 और 39—नोटिफिकेशन जारी किया गया जो पी.डब्ल्यू.डी. ठेके के कार्य के प्रति सहकारी श्रम और निर्माण समाजों को प्राथमिकता और छूट प्रदान करता है—कहा गया छूटों ने निर्दिष्ट श्रेणियों के निर्माण कार्य को समाजों को सौंपने की आदेश दी—नोटिफिकेशन में यह भी दिया गया कि ठेके केवल समाजों के

असफलता या असफलता पर ही अन्य ठेकेदारों के लिए खुले होंगे—समाजों और निजी ठेकेदारों के बीच अंतर की स्थापना—क्या संवैधानिक है—समाजों को छूट दी गई—क्या उनके पक्ष में एक मोनोपॉली बनाता है।

निर्णय: सार्वजनिक कार्य विभाग को अनेक कार्यों को कार्यान्वयन और पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। वे ये कार्य खुद से पूर्ण कर सकते हैं या ठेकेदारों या सहकारी श्रम और निर्माण समाजों के जैसे एजेंटों के माध्यम से करवा सकते हैं। प्रत्येक विशेष कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार को इसके कार्यान्वयन के माध्यम और विधि पर निर्णय लेना होता है और उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, सरकार को अपने एजेंट्स की नियुक्ति के लिए कोई भी योग्य नीति बना सकती है। किसी नागरिक का सरकार के इस उद्देश्य के लिए एजेंट नियुक्त किया जाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं होता। ये छूटें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निहित प्रिय सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने और सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए दी गई हैं, और भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड की अनुशंसाओं के पालन में। समाज के नियमों की जांच से साफ होता है कि व्यक्ति जो या तो हाथी मजदूर होता है या महिर होता है, वह समाज के सदस्य बनता है। ऐसे समाज सरकार के लिए प्रभावी, विश्वसनीय और कम खर्च में कार्य करने के लिए एजेंट हो सकते हैं, और कहीं-न-कहीं ये समाज से उत्पन्न सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और अपने सदस्यों को जीविका उपार्जन करने में भी मदद कर सकते हैं। इन विवादित सूचनाएं समाजों के पक्ष में कोई मोनोपॉली नहीं बनाती हैं। ये छूटें केवल पांच वर्षों के लिए हैं। फिर भी, समाजों के पक्ष में कोई पूर्ण मोनोपॉली नहीं बनती है और यदि समाजों ने नीलामी नहीं की हो या कार्य स्वीकार नहीं किया हो तो विकासाधिकारियों को ठेकेदारों और समाजों से खुली नीलामी बुलाकर उन्हें करवाने का विकल्प होता है। इन विवादित सूचनाओं से समाजों के पक्ष में कोई मोनोपॉली नहीं बनती है और यह ठेकेदारों के व्यापार को चलाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है। सहकारी समाजों और निजी ठेकेदारों के बीच वर्गीकरण यह समझौते का है और जिसका सीधा सम्बंध उद्देश्य से है, ऐसा कोई उचित एक है और ऐसे किसी भी संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

(पैराग्राफ 4, 6, 8 और 10)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस सम्मानित न्यायालय से इस प्रार्थना पर लिखित याचिका को विचार किया जाए :

(ए) इस याचिका के मामले से संबंधित सभी संबंधित रिकॉर्ड को इस सम्मानित न्यायालय में बुलाने के लिए।

(बी) नोटिफिकेशन अनेक्सर पी-1 को रद्द करने के लिए एक वृत्तिपत्र जारी करने के लिए अपील किया जाए।

(सी) उन्नत श्रम और निर्माण समाजों के साथ व्यक्तिगत ठेकेदारों को बराबर आधार पर व्यवस्था करने के लिए एक मैन्डेमस जारी करने के लिए अपील की जाए।

(डी) मामले के परिस्थितियों के तहत इस सम्मानित न्यायालय द्वारा उचित माना गया कोई भी अन्य वृत्तिपत्र या निर्देश जारी करने के लिए।

(इ) पूर्ण हक बहाल करने के लिए याचिककर्ता को साक्षात्कार प्रमाणित प्रतियां देने और आवश्यक सूचना जारी करने से मुक्त किया जाए।

(एफ) इस याचिका की विचाराधीनता के दौरान नोटिफिकेशन अनेक्सर पी-1 के प्रचालन को रोकने के लिए।

(जी) लागतों का प्रदान किया जाए।

अनुरेक्षण में आग्रहित अधिवक्ता ए. एन. मित्तल और विने मित्तल, प्रतिनिधियों के लिए।

हरियाणा और अन्यों के खिलाफ जेआर आर्डर प्रतिनिधियों के लिए एच. के. मुखी, अधिवक्ता।

न्यायाधीश सुखदेव सिंह कांग, जे।

(1) इस लेखित याचिका में जिन दिशानिर्देशों की वैधता और संवैधानिकता पर सुरिंदर सिंह, याचक, द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत चर्चा है, उनमें सवाल है कि राज्य हरियाणा द्वारा जारी नोटिफिकेशन, दिनांक 12 अप्रैल, 1982 (अनेक्सर पी-1) में दी गई निर्देशों का मान्यता प्राप्त है या नहीं, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि सभी अकुशल कार्य और सीमा में रहकर भी योग्य कार्यों को सहकारी श्रम और निर्माण समाजों को सीमा दरों के भीतर नीलामी द्वारा सौंपा जाना चाहिए।

(2) यह निम्नलिखित परिस्थितियों में दायर किया गया है: —सुरिंदर सिंह, याचक, हरियाणा राज्य के सार्वजनिक कार्य विभाग (भवन और सड़क) के पंजीकृत क्लास IV ठेकेदार हैं 1978 से। वह रु. 1 लाख से अधिक के कामों के लिए निविदा करने के लिए पात्र हैं। उनकी पंजीकरण के बाद से सुरिंदर सिंह ने हरियाणा राज्य के लिए रु. 1 लाख से अधिक की मूल्य वाले कामों को सम्पादित किया है।

(3) 12 अप्रैल, 1982 को, हरियाणा के गवर्नर ने हरियाणा राज्य में सहकारी श्रम और निर्माण समाजों को पाँच वर्षों तक, यानी, 31 दिसम्बर, 1986 तक, के लिए छूट दी, जिसमें अकुशल कार्यों को किसी भी मूल्य तक और प्रत्येक कार्य के लिए रु. 2 लाख तक के कुशल कार्य को सीमा दरों के भीतर नीलामी द्वारा केवल इन समाजों को सौंप दिया जाना चाहिए। यदि ये समाज नीलामी करने में असफल रहे या सीमा दर से अधिक कार्य स्वीकार नहीं करते हैं, तो कार्य व्यक्तिगत ठेकेदारों और समाजों दोनों से नीलामी आमंत्रित करके संचालित किया जा सकता है। यह याचिककर्ता द्वारा दावा किया गया कि उपरोक्त छूटों को बढ़ाकर उत्तराधिकारी संख्या 1 ने सहकारी श्रम और निर्माण समाजों के पक्ष में

एक मोनोपॉली बना दी है सभी अकुशल कार्यों और रु. 2 लाख तक के कुशल कार्यों के मामले में। यह कानून में स्वीकृत नहीं है। राज्य सहकारी श्रम और निर्माण समाजों और व्यक्तिगत पंजीकृत ठेकेदारों के बीच असभ्य भेदभाव का सहारा नहीं ले सकता। वैकल्पिक रूप से, यह यहाँ जातीय विशेषता ही नहीं है जो सहकारी श्रम और निर्माण समाजों और व्यक्तिगत ठेकेदारों को वर्गीकृत करने के लिए। किसी मामले में, यदि कोई विशेषता हो तो वह उस उद्देश्य से संबंधित नहीं है।

(4) उत्तरदाता संख्या 2 और चंडीगढ़ प्रांतीय डिवीजन, पी.डब्ल्यू.डी. बी. एंड आर. हरियाणा के कार्यकारी अभियंता, प्रत्येक शाखा के प्रशासकीय अभियंताओं द्वारा, प्रत्युत्तर 1, 3, 4 और 5 के पक्ष से अलग-अलग लिखित बयान दाखिल किए गए हैं। उसमें यह अभिव्यक्त किया गया है कि दो समाजों में सहकारी श्रम और निर्माण समाजों को पाँच वर्षों के लिए राज्य में दो सुविधाएँ दी गई हैं। सरकार का इरादा समाज के कमजोर वर्गों के मानकों को उठाने का है, जो सदैव ठेकेदार-मध्यस्थों द्वारा शोषित हो गए हैं। यह छूटें दी गई हैं ताकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लिखित समाजिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और सहकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके और भारत सरकार द्वारा स्थापित श्रम सहकारी राष्ट्रीय सलाहकार मंडल की सिफारिशों के पालन के लिए। दी गई छूटें केवल सहकारी समाजों को प्राथमिकता दिखाने के लिए हैं। यह उनके पक्ष में कोई मोनोपॉली नहीं बनाता है और यह भेदभावपूर्ण नहीं है। अधिसूचना ठेकेदारों को कक्षा IV के ठेकेदारों को काम सौंपने से बाहर नहीं करती। यदि समाज नीलामी करने में असफल होते हैं या सीमा दरों के भीतर काम स्वीकार नहीं करते हैं, तो कार्य दोनों ठेकेदारों और समाजों से नीलामी करके संचालित किया जा सकता है। छूटियों को सहकारी श्रम और निर्माण समाजों को दी गई हैं, जो कि अन्यथा प्रसिद्ध ठेकेदारों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

(5) सार्वजनिक कार्य विभाग को बहुत सारे कार्यों को लागू और संचालित करना होता है। वे ये कार्य स्वयं निष्पादित कर सकते हैं या ठेकेदारों या सहकारी श्रम और निर्माण समाजों जैसे एजेंटों के माध्यम से करवा सकते हैं। भारत एक कल्याणमय राज्य होता है, लोकतांत्रिक सरकारों को सड़कें, इमारतें, पुल आदि के रूप में नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। सरकार जब भी ये कार्य करती है, तो सुनिश्चित करना होता है कि वे शीघ्रता से, कुशलता से और आर्थिक रूप से पूरी हों। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सरकार को अपने एजेंटों की नियुक्ति के लिए किसी भी योग्य नीति को तैयार करने का हक होता है। किसी नागरिक का सरकार के इस उद्देश्य के लिए एजेंट नियुक्त करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं होता।

(6) श्री एच.के. मुखी, उत्तरदाताओं के वकील, ने मेरे सामने सहकारी श्रम और निर्माण समाजों के मॉडल बाय-लॉ की एक प्रति प्रस्तुत की है। समाजों के बाय-लॉ 4 के अनुसार, इन समाजों के उद्देश्य हैं कि वे अकुशल श्रमिकों, कुशल श्रमिकों के आर्थिक हित को बढ़ावा दें, और इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक या निजी काम के कराने के ठेकों को प्राप्त करके उन्हें उपयुक्त और लाभदायक रोजगार प्राप्त करें; सदस्यों के कुशलता और

कौशल को बढ़ाने के लिए सदस्यों को मुस्तरदी में, कढ़ाई में और अन्य सहायक पेशों में प्रशिक्षण देना। बाय-लॉ 4 की परूसा से स्पष्ट है कि व्यक्ति जो या तो अकुशल श्रमिक होता है या कुशल श्रमिक, वह सहकारी श्रम और निर्माण समाजों के सदस्य बनता है। उन्हें मुस्तरदी में, कढ़ाई में और अन्य सहायक पेशों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए, सहकारी श्रम और निर्माण समाजों को राज्य के विकास कार्यों को संचालित करने के लिए अत्यंत उपयुक्त और संपूर्ण रूप से सजीव और अर्थवादी एजेंट माना जा सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सहकारी श्रम और निर्माण समाजों को निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वे समुदाय को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें और अपने सदस्यों को आजीवन निर्जीवन प्राप्त करने में मदद कर सकें। इस तरह की छूटियों को प्राप्त करना सरकारी कामों को शीघ्र, कुशल और आर्थिक रूप से पूरा करने में सीधे योगदान करता है। इसमें प्राप्त होने वाला फायदा उद्देश्य से सीधे जुड़ा होता है।

(7) श्री विनय मित्तल, प्रार्थी के मान्य वकील, ने गंभीरता से विवादित नहीं किया और यह विवादित भी नहीं किया जा सकता कि सहकारी श्रम और निर्माण समाज और निजी ठेकेदार अलग और अलग वर्गों को बनाते हैं। व्यक्तिगत ठेकेदार अपने व्यक्तिगत और निजी हितों को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं, जबकि समाज सदस्यों के लाभ के लिए होते हैं। समाज के सदस्य अपने संसाधनों को एकत्र करते हैं और एक-दूसरे की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करते हैं।

(8) इस विवादित सूचना में समाजों के पक्ष में कोई मोनोपॉली नहीं बनाई गई है। इसने उन्हें कुछ छूटें प्रदान की हैं। इसने स्पष्ट किया है कि अनुशिक्त कार्य जितना भी मूल्य हो, और सीमित कार्यों तक रु. 2 लाख तक के प्रत्येक कार्य को समाजों को प्रत्यक्ष अभियंताओं द्वारा तय की गई दरों के भीतर ही सौंपा जाना चाहिए। ये छूटियां केवल पांच साल के लिए होंगी। फिर भी, कोई पूर्ण मोनोपॉली समाजों के पक्ष में नहीं बनाई जाती है। यदि समाज निविदा नहीं करते हैं या दरें सीमित दरों से अधिक करते हैं, तो प्राधिकृत अधिकारियों को यह स्विकृति दी जाती है कि वे उन्हें दोनों ठेकेदारों और समाजों से निविदा कराकर समाप्त कर दें। इस विवादित सूचना द्वारा केवल यह प्रदान किया जाता है कि समाजों को सूचनाओं द्वारा अधिकारियों द्वारा तय की गई सीमा दरों के भीतर काम करने का एक अवसर दिया जाता है, लेकिन अगर वे ऐसा करने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो तब मामला सभी के लिए खुल जाता है और काम दोनों ठेकेदारों और समाजों से निविदा कराकर किया जा सकता है। यह नहीं है कि निजी ठेकेदार पूरी तरह से विचारणा से बाहर हो गए हैं। प्राथी के द्वारा दिये गये निविदा सूचना, अनेक उन्हें मंजूर किया गया है, की सूचनाओं से उत्तरदाता समूहों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है, लेकिन अगर वे निविदा नहीं करते हैं या जो करते हैं वे तिथि पर लागू होने वाली सीमा दरों से अधिक होती हैं, तो निविदाएं ठेकेदारों या समाजों से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा जमा करने या कम दर देने से उन्हें बाहर नहीं किया जाता है। प्राथी गलत है जो कि उसे सरकारी कामों के लिए ठेकेदार के रूप में कार्य करने से वंचित किया गया है। कुछ सम्बन्धित परिस्थितियों में, सरकारी सस्ता अनाज विक्रेता सिंह बनाम मध्य प्रदेश और अन्य, (1), में,

अंतिम न्यायालय को इस तरह का एक ही तरह का विचार करने का मौका मिला था। इस पर यह आलेख था:

पहले हमने उन दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तियों का संदर्भ दिया था जो M.P. खाद्य-सामग्री (वितरण) नियंत्रण आदेश, 1960 के तहत खाद्य सामग्रियों के वितरण की वर्तमान प्रणाली में हो रही थीं। यह प्रणाली पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी और तोड़ने की सीमा तक बिगड़ चुकी थी। यदि मध्य प्रदेश की जनता को नियमित राशन प्राप्त करना चाहिए था, तो प्रणाली का एक पूर्ण और व्यापक पुनर्निर्माण अनिवार्य हो गया था। इस परिस्थिति में सरकार का निष्कर्ष निकला कि खाद्य सामग्रियों का वितरण सहकारी समितियों (उपभोक्ता सहकारी समितियां), के माध्यम से किया जाना सबसे बेहतर वितरण पद्धति होगी, जिससे सामग्रियाँ उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा सकती थी। कोई नहीं संदेह कर सकता कि सहकारी समितियां जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से आवश्यक खाद्य वस्त्र के निष्पक्ष और प्रभावी वितरण में उम्मीद की जाती हैं, उनकी सकारात्मक भूमिका पर कोई संदेह नहीं है। यहां निश्चित रूप से एक योग्य वर्गीकरण था और उसका संबंध उस उद्देश्य से था, जो उपभोक्ताओं को निष्पक्ष और सुनिश्चित रूप से राशन प्रदान करना था। व्यापारियों का मौलिक अधिकार, जैसे कि यह याचिकाकर्ताओं का है, भोजन-सामग्रियों के व्यापार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया गया था। वे व्यापारिक कर सकते थे, खाद्य सामग्रियों के व्यापार में कोई बाधा नहीं थी; केवल, वे सरकार के एजेंट के रूप में न्यायिक दरोंगेरियों को नहीं चला सकते थे। किसी को भी सरकार के एक एजेंट के रूप में एक न्यायिक दरोंगेरियों को चलाने का कोई अधिकार नहीं था। वह सिर्फ सरकार के एजेंट के रूप में नियुक्त होने का अधिकार दावा कर सकता था। अगर सरकार ने सहकारी समितियों को उनके एजेंट के रूप में नियुक्त करने का एक नीतिक निर्णय लिया था, तो पिछले दो दशकों में हुई निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों की रोशनी में, हम नहीं समझ सकते कि कोई भेदभाव हुआ था।

उनके माननीय न्यायाधीशों ने इस तरह से यह अभिव्यक्त किया कि सरकार का निष्कर्ष, जिसका यह था कि सहकारी समितियों के माध्यम से खाद्य सामग्रियों का वितरण उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की सबसे अच्छी पद्धति होगी, को संदेहास्पद नहीं किया जा सकता था। सहकारी समितियों से उम्मीद की जाती है कि वे खाद्य सामग्रियों की निष्पक्ष और निश्चित आपूर्ति में सकारात्मक और प्रगतिशील भूमिका निभाएंगी। समितियों और निजी अनाज व्यापारियों के बीच का वर्गीकरण युक्तिसंगत था और उसका वही साधन है जो प्राप्त करने का उद्देश्य था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के जैसे व्यापारियों का मौलिक अधिकार, खाद्य सामग्रियों के व्यापार में, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ था। वे व्यापारिक कार्य कर सकते थे बिना किसी बाधा के।

(9) अगर हरियाणा सरकार ने निजी ठेकेदारों के साथ अपने अनुभव के आलोक में, अपने कार्यों के लिए सहकारी समितियों को अधिकारीत करने का एक नीतिक निर्णय लिया, तो हमारे अनुसार कोई भेदभाव नहीं था।

(10) अंतिम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के आलोक में, इस मामले में इस महाकाव्याधिपत्र की अवधारणाओं का कोई सहायता नहीं करती है। इसलिए, मेरा मानना है कि दिनांक 12 अप्रैल, 1982 की सूचना, प्रारूप पी-1, किसी सहकारी समितियों के पक्ष में कोई एकाधिकार नहीं बनाती है। यह याचिका दरकार के अधिकार को भी प्रभावित नहीं करती है कि निजी ठेकेदारों द्वारा व्यापार करने का। सहकारी समितियों और निजी ठेकेदारों के बीच का वर्गीकरण युक्तिसंगत है और उसका सीधा संबंध उस उद्देश्य से है जो प्राप्त करने का उद्देश्य था।

(11) इस परिणामस्वरूप, यह याचिका असफल होती है और खारिज की जाती है, लेकिन कोई लागत के साथ कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा